उनवान विनोदकुमार बनाम CALA 116
प्रकरण संख्या 2/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
5/3/25	अभिभाषक प्रार्थी एवं अनावेदक के मध्य किये गये आपसी समझौते के आधार पर अवार्ड पारित किया जाता है। अनावेदक द्वारा प्रार्थी को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाकर प्रार्थी द्वारा अपने हस्ताक्षर युक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत कर मुआवजा राशि प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा पत्रावली पत्रावली वापस किये जाने बाबत अभ्यर्थना पत्र पेश किया। पत्रावली संख्या-2 दिनांक 16-4-25 को पेश हो। आरबीट्रेटर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 (जिला कलेक्टर) टोंक
16/4/25	पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलवाई गई। अभिभाषक प्रार्थी व प्रार्थी अनुपस्थित। अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 17 नियम 2 सी.पी.सी. में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तकमील अदायगी अभिलेख है। आरबीट्रेटर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 (जिला कलेक्टर) टोंक